जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-09.09.2025

एसओजी टीम शामली एवं थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी से लूट की योजना बनाने वाले दो बदमाशो को पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 08/09.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी टीम शामली एवं थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आल्दी की पुलिया पर व्यापारी से लूट की योजना बनाने वाले 02 बदमाश दीपक उर्फ पेलू पुत्र नरेंद्र निवासी राठौर कालोनी छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व सददाम उर्फ साजिद पुत्र सब्बीर निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। दोनों अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध 02 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल अभियुक्तगण दीपक उर्फ पेलू व सद्दाम उर्फ साजिद उपरोक्त को उपचार हेतु सीएचसी कांधला में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.दीपक उर्फ पेलू पुत्र नरेंद्र निवासी राठौर कालोनी छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

2.सददाम उर्फ साजिद पुत्र सब्बीर निवासी नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 02 तमंचा 02 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नम्बर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उर्फ पेलू उपरोक्तः-

1मु0अ0सं0 159/2017 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

2.मु0अ0सं0 401/20 धारा 307/402 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

3.मु0अ0सं0 403/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

4.मु0अ0सं0 531/20 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

5.मु0अ0सं0 532/20 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

6.मु0अ0सं0 533/20 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
7.मु0अ0सं0 534/20 धारा 420 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
8.मु0अ0सं0 537/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
9.मु0अ0सं0 568/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
10.मु0अ0सं0 302/14 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
11.मु0अ0सं0 303/14 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
12.मु0अ0सं0 304/14 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
13.मु0अ0सं0 306/14 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
14.मु0अ0सं0 34/15 धारा 414 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
15.मु0अ0सं0 381/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कांधला शामली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सददाम उर्फ साजिद उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 25/13 धारा 302/394 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 44/13 धारा 25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 70/13 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0सं0 188/12 धारा 326 भादवि थाना कोतवाली सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5.मु0अ0सं0 02/17 धारा 222/223/224 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
6.मु0अ0सं0 392/2008 धारा 326 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
7.मु0अ0सं0 381/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कांधला जनपद शामली
2.उ0नि0 कुलदीप सिंह प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामली।
3.उ0नि0 रणपाल सिंह थाना कांधला जनपद शामली
4.है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली
5.है0का0 रविन्द्र तोमर थाना कांधला जनपद शामली
6.है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
7.है0का0 हरवेन्द्र कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
8.का0 मनीष कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
9.का0 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
10.का0 दीपक निर्वाण एसओजी टीम जनपद शामली।
11.का0 राममूर्ति एसओजी टीम जनपद शामली।
12.का0 सूर्य प्रताप थाना कांधला जनपद शामली।

13.का0 नितिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब के पव्वे बरामदः-

आज दिनांक 09.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 15 पव्वे देशी शराब टैट्रा पैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अर्जुन पुत्र हरिओम नि0 ग्राम ऐरटी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 15 पव्वे/ट्रेटा पैक देशी शराब महबूबा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजकुमार बघेल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

2.है0का0 पवन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

3.है0का0 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 195 ग्राम चरस बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है ।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 08.09.2025 की रात्रि थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर अमित पुत्र तेजपाल सिंह निवासी गाँव खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को अवैध 195 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0-451/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त अमित पुत्र तेजपाल सिंह उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अमित पुत्र तेजपाल सिंह निवासी गाँव खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण

* अवैध 195 ग्राम चरस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री साहब सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- है0का0 नवाब थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- का0 रजत यादव थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 01 किलो 60 ग्राम गांजा बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है ।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.09.2025 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 03 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 01 किलो 60 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 84/2025 धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है । अभियुक्तगण जैद, सावेज, शहनवाज को मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.जैद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम गढीअब्दुल्लाखां थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

2.सावेज पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम पलठेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

3.शहनवाज उर्फ रज्जू पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम गढीअब्दुल्लाखां थाना गढीपुख्ता जनपद शामली । (हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त थाना गढीपुख्ता)

बरामदगी का विवरण

* अवैध 01 किलो 60 ग्राम गांजा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जैद उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 79/23 धारा 465/471 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

2.मु0अ0स0 90/24 धारा 305(ए),317(2),331(4) बी0एन0एस0 थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

3.मु0अ0स0 91/24 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 9/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

4.मु0अ0स0 325/23 धारा 379,411 भादवि थाना झिझाना जनपद शामली ।

5.मु0अ0स0 337/23 धारा 414,465 भादवि थाना झिझाना जनपद शामली ।

6.मु0अ0स0 151/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली ।

7.मु0अ0स0 152/21 धारा 414 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली ।

8.मु0अ0स0 31/21 धारा 380,411,457 भादवि थानाभवन जनपद शामली ।

9.मु0अ0स0 56/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 305(a), 317(2), 331(4) बी0एन0एस0 गढीपुख्ता जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सावेज उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 51/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

2.मु0अ0स0 43/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शहनवाज उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 17/21 धारा 25/3/5(1) आयुध अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 94/22 धारा 380,411,457,504 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

3.मु0अ0सं0 152/2020 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 यशवीर सिंह राणा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

2.है0 का0 पिंटू कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

3.है0 का0 मनोज कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

4.का0 अंकित कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

5.का0 तरुण प्रताप थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाए 01 अभियुक्त को जानलेवा हमला करने की घटना में अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध हथियार व कारतूस बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 25.07.2025 को वादी आवेश उर्फ बिल्ली पुत्र तासिम निवासी ग्राम तितरवाडा जनपद शामली द्वारा आरोपी वसीम उर्फ तोतू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा वादी के ऊपर अवैध हथियार से जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाने पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

आज दिनांक 09.09.2025 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम उर्फ तोतू को जिला कारागार मु0नगर से पीसीआर पर लेकर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तितरवाडा से अभियुक्त वसीम उर्फ तोतू की निशानदेही पर उपरोक्त घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है । बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.वसीम उर्फ तोतू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली ।

अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बदलूगढ़ में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 09.06.2025 की रात्रि में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत देवेंद्र सिंह पुत्र पलटू सिंह निवासी ग्राम बदलूगढ थाना कैराना जनपद शामली अपने घेर में चारपाई पर बैठे थे तभी मोटर साइकिल सवार व्यक्तियो द्वारा आकर फायर कर दिया जिससे एक गोली देवेन्द्र सिंह के सिर में लगने से घायल हो गये । घायल देवेन्द्र को उपचार हेतु सीएचसी कैराना ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरो द्वारा देवेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया गया । सूचना पर तत्काल सभी उच्चाधिकारीगण, थाना कैराना पुलिस, एसओजी, सर्विलांस व फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर प्रत्यक्षदर्शियों/परिजनों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी । मृतक का मोमीन पुत्र करीमुद्दीन, भूरा पुत्र करीमुद्दीन, तनवीर पुत्र अब्दुल कय्यूम, यूसुफ पुत्र नूर मौहम्मद निवासीगण कस्बा कैराना जनपद शामली से दुकान पर कब्जे को लेकर माननीय न्यायालय कैराना मे वाद/विवाद चल रहा है । मृतक के पुत्र सुनील की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 341/2025 धारा 103(1) बीएनएस के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था । थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त मौहम्मद मौमीन, भूरा उर्फ यामीन व यूसुफ पुत्र नूर मौहम्मद उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । थाना कैराना पुलिस द्वारा शेष अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बदलूगढ़ में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । घटना में लिप्त शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है । शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.प्रीत पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला बिसातियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अभियुक्त प्रीत की निशानदेही पर अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

2.का0 मोनू चौधरी थाना कैराना जनपद शामली ।

3.का0 अजय कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

साइबर क्राइम थाना पुलिस दवारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी की गयी धनराशि में से 80,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी ।

ज्ञात हो कि दिनांक 08.09.2025 को आवेदक श्री शेखर पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम करोडी थाना आदर्श मण्डी शामली जनपद शामली के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक उपरोक्त के पुत्र को गिरफ्तार कर लेने का भय दिखाकर ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से 1,50,000/- रुपये ट्रांस्फर करा लेने के सम्बन्ध में साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली पर तहरीर दी गई थी । दखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 08/2025 धारा 384,419,420 IPC व 66D IT ACT पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार व नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक शामली के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन/साइबर अपराध के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वालो के खातों की जानकारी कर आवेदक को खाते में 80,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी । आवेदक की रकम वापस होने पर आवेदक द्वारा पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद पत्र दिया गया ।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सीमा शर्मा, साइबर क्राइम थाना जनपद शामली ।

2.नि0 श्री संजय कुमार साइबर क्राइम थाना जनपद शामली ।

3.उ0नि0 श्री गौरव त्यागी साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली ।

4.का0 दीपक कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली ।

5.का0 अर्चित कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली ।

6.का0 मुनेन्द्र कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली ।

थाना कैराना/झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 10 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 09.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना/झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 10 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.राहुल पुत्र कालूराम सैनी निवासी मौ0 सैदमीर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.सुनील पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी मौ0 सैदमीर कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3.नीरज पुत्र लोटन निवासी म्यान कस्बा बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली ।

4.शब्बीरा पुत्र ईस्माइल निवासी ग्राम टोटा थाना झिंझाना जनप्द शामली ।

5.ओमपाल पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम शामली शामला थाना झिंझाना जनपद शामली ।

6.शाहरूख पुत्र जरीफ निवासी ग्राम नंगलाराई थाना कैराना जनपद शामली ।

7.राजेन्द्र शर्मा पुत्र पूरणचन्द शर्मा निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली ।

8.रोहित पुत्र राजाराम निवासी मौ0 पंसारियान बाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली शामली जनपद शामली

9.सोनू मलिक पुत्र शौराज सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

10.सचिन पुत्र प्रेम सिंह निवासी मौहल्ला नौतना पट्टी कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली ।

कार्यालय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शामली

रिपोर्टिंग पुलिस चौकी
ऊन, थाना-झिंझाना
जनपद-शामली

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 02 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 1150/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।</u>

1.वर्ष 2021 में अभियुक्तगण उवैश पुत्र वाहिद व गुफरान पुत्र गुलफाम निवासीगण ग्राम मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 292/2021 धारा-13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 09.09.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेडी/जेएम शामली से अभियुक्तगण उपरोक्त को 50-50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2.-वर्ष 2017 में अभियुक्त इनाम पुत्र मुन्ता कुरैशी निवासी मौ0 कुरेशियान थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 412/2017 धारा-429 भादवि0 व 11(2) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 09.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 1050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।